

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1538 / 2013 / हनुमानगढ़

मैसर्स चाचण ब्रदर्स कॉटन जिनिंग प्रेसिंग राईस व  
ऑयल मिल, हनुमानगढ़ टाऊन।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी।

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी.सी.सोगानी,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक :04.02.2015

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 91 / आर.वैट / हनुमानगढ़ / 2012–13 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, हनुमानगढ़ (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 123, 24, 5, 58, 18 व 4(2) के तहत निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 03.02.2012 के जरिये रिवर्स किये गये टैक्स रु.18,37,955/- क्य कर रु.10,48,939/- व अनवृत्ती ब्याज रु.7,36,185/- की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलर्थी व्यवहारी द्वारा औद्योगिक ईकाई स्थापित की जाकर, ईकाई में “रॉ-कॉटन” की जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रुई की गांठें, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवम् खल का विनिर्माण किया जाता है एवम् उक्त पदार्थों का विक्रय अपीलर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य व अन्तर्राजियक व्यापार के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने यह भी पाया कि विनिर्माण प्रक्रिया में “रॉ-कॉटन” से रुई 35 प्रतिशत, तेल बिनौला 7.5 प्रतिशत, तथा खल बिनौला 53 प्रतिशत वजनानुसार निर्मित होता है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच के दौरान यह भी पाया कि अपीलर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पादित माल यथा रुई एवम् बिनौला एवम् बिनौला तेल कर

योग्य है परन्तु खल बिनौला कर मुक्त उत्पाद है फिर भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कीत कच्चे माल यानि “रॉ-कॉटन” पर भुगतान किये गये सम्पूर्ण कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में, खल बिनौला कर मुक्त उत्पाद होने के कारण, क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधानों के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अविधिक तरीके से क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया गया है। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल नरमा कपास पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के अधीन ही अनुज्ञेय है एवम् इस संबंध में क्य पर भुगतान किये गये कर का अनुपातिक लाभ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में देय है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर योग्य वस्तुओं के विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित कर शेष खल बिनौला पर अनुपातिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार कर, इस रांबंध में “रिवर्स टैक्स”, क्य कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल “रॉ-कॉटन” क्य की गयी है तथा इसे रुई व तेल के विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें बिनौला खल विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक सह-उत्पाद है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त कीत कच्चे माल के कुल कीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के श्री गणेश कॉटन ट्रेडर्स बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 125 एस.टी.सी. 313 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स

बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 व महाराष्ट्रा राज्य बनाम पुलगांव कॉटन मिल्स लि0 के न्यायिक दृष्टान्त 85 एस.टी.सी. 220 को प्रोद्धरित किया गया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, अपीलीय आदेश परो अपारत जरो का निवेदन किया गया।

5. विशिष्ट रूप से अपने उक्त तर्क के इस संबंध में विशिष्ट रूप से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135 / 2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ़ बनाम वा. क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय तारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने संबंधी प्रतिपादित विधि के आलोक में कर, बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 810 / 2008 / हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 21.02.2013 में जिसमें माननीय पीठ द्वारा समान तथ्यों पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया था, पर निर्णय दिनांक 03.09.2014 पारित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स की मांग राशि की वसूली पर रोक लगायी गयी है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(g) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य कच्चे माल के कर पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर एवम् इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व पर देय है। कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,

अपील संख्या –1538 / 2013 / हनुमानगढ़

प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के मददेनज़र उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18 (1)(g) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से विनिर्मित, कर मुक्त माल “चौकर” की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होना अवधारित कर, “रिवर्स- टैक्स” की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर कलेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल बिनौला की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स तदनुसार कर कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। अन्ततः, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टातों का सम्मान अध्ययन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधनों का गहन अध्ययन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कर मुक्त वस्तुओं का विक्रय किया गया है, एवम् उक्त का विक्रय कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में कलेम किये गये समस्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अपीलार्थी व्यवहारी को देय नहीं है। जैराकि अधिनियम की धारा 18(1)(c) के प्रावधान है एवग् अधिनियम जी धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:- “.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they

are used for the purposes specified in this sub-section.” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की राग्न्यपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224 / 2008 / बूंदी में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व खण्डपीठ के प्रोद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित विधि से हस्तगत विवादित प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224 / 2008 / बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा “रिवर्स-टैक्स” तदनुसार क्य कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुस्ति

करना पूर्णतः विधिरागत एवं उचित नहीं है। जहां तक विद्वान् अभिभाषक द्वाण प्रोद्धरित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135 / 2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ़ बनाग् वा.क.आ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा केवल विवादित बिन्दुओं के संबंध में कायम रिवर्स टैक्स व अनवृत्ति ब्याज की मांग राशियों की वरूली पर रोक लगायी गयी है, अतः विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. परिणामतः, अपील अरवीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

4.2.2015  
(मदन लाल)

सदस्य

4-2-15  
(राकेश श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष